

जिला पंचायत कार्यालय

कृषि अनुभाग

दमण

सं.कृषि अनु./जि.प./दमण /कृ.प्र. कार्यक्रम/2016-17/५३

दिनांक :- १९/०७/२०१६


निविदा सूचना / कोटेशन नोटिस

दमण एवं दीव, संघ प्रदेश कृषि अनुभाग, जिला पंचायत, दमण की ओर से किसान शिबीर / प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्टेज, मंडप, समियाना, बेठक व्यवस्था साउन्ड सिस्टम आदि सेवा निम्नअनुसार आपूर्ति करने/ उपलब्ध के लिए निर्धारित व्यक्तियों/ एजन्सीयों / फार्म/ संगठनों से एतदद्वारा मुहरबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं : विवरण संलग्न है।

क्रम सं.	विवरण	अंदाजीत मात्रा	EMDs राशि
1.	किसान शिबीर/प्रशिक्षण क्षेत्र निर्दर्शन कार्यक्रमों के दौरान स्टेज, मंडप, समियाना, बेठक व्यवस्था साउन्ड सिस्टम आदि उपलब्ध कराना :-	1 कार्यक्रम	NIL

निबंधन एवं शर्तें :-

- 1 रुचि रखनेवाले पक्षों/एजन्सीयों को अपना प्रस्ताव अपनी /दरें अपने पत्रशीर्ष पर सह हस्ताक्षर एवं मुहर सहित प्रस्तुत करना होगा।
- 2 दरों के अतःगत परिवहन, प्रतिस्थापन सह सभी दरे शामिल होनी चाहिए ये 31 मार्च 2017 तक वैध होना चाहिए।
- 3 रुचि रखनेवाले पक्षों/एजन्सीयों को कृषि अनुभाग, जिला पंचायत द्वारा एक सप्ताह की पूर्व सूचना पर कभी भी माँगे जाने पर, बागवानी फार्म/प्रशिक्षण स्थान या अन्य निर्दिष्ट स्थानों पे स्टेज/ मंडप /साउन्ड सिस्टम/समियाना/बेठक व्यवस्था आदि मुहैया कराने का समर्थन होना चाहिए। उक्त सेवा 31 मार्च 2017 को समाप्त अवधी के दौरान एक या कई अवसरों पर माँगे जा सकते हैं।
- 4 उक्त सेवा प्रशिक्षण या अन्य निर्दिष्ट स्थानों पे आपूर्ति करके प्रतिस्थापन / मुहैया कराना है। आपूर्तिकर्ता को यह सेवा सुनिश्चित रूप से एवं बुनियादी ढंग से मुहैया करनी होगी। आपूर्तिकर्ता को सेवाये संबंधित दायरे के साथ उसकी न्यामवाली लागू होगी।
- 5 उक्त सेवा विभाग द्वारा दिये गये विनिर्देशों के अनुरूप होने चाहिए। विभाग द्वारा दिये गये विनिर्देशों के अनुरूप न होने पर इन्हें अस्वीकार कर दिया जायेगा।
- 6 आपूर्ति किये जानेवाले मटों की संख्या में बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन हो सकता है।
- 7 मटों को प्राप्त करने के बाद तथा संबंधित प्राधिकारी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. के संतुष्ट होने पर ही सीधा बैंक खाता मे भुगतान किया जायेगा। किसी भी प्रकार का भ्रूगतान आगे से नहीं किया जाएगा।
- 8 उक्त निविदाएँ इस कार्यालय में दिनांक:- 05/08/2016 को 3.00 बजे तक मुहरबंद लिफाफे में पहुँच जाना चाहिए। और लिफाफे पर बड़े अक्षरों में "कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान मंडप साउन्ड सिस्टम/समियाना/उपलब्ध कराने हेतु निविदा" लिखा होना चाहिए। इन्हें संभव होने पर निविदाकर्ताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों, यदि कोई हो, की उपस्थिति में उसी दिन मध्याह्न बाद 04.00 बजे खोला जायेगा।
- 9 इस नोटिस की निबंधन एवं शर्तें तथा इस संबंध में इस कार्यालय द्वारा आगे निर्धारित निबंधन एवं शर्तें भी रुचि रखनेवाले पक्षों को स्वीकार्य होगा। इस परियोजन के अलग से करार नहीं किया जायेगा।
- 10 किसी या सभी निविदाओं को अस्वीकार या स्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. को सुरक्षित होगा।
- 11 इस कार्य से संबंधित सभी विवाद संघ प्रदेश दमण एवं दीव में उचित न्यायालय प्राधिकार के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।



(पी.एम.जोशी)

सहायक लेखा अधिकारी/आ.स.ओ.

जिला पंचायत, कृषि विभाग

दमण।

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, दमण।
2. अध्यक्ष जिला पंचायत, दमण को सूचनार्थ।
3. सभी कार्यालय/अनुभाग जिला पंचायत, दमण को व्यापक प्रचार के लिए अनुरोध सहित।